

0755-2760868 क्षे. आ.

दूरमाप : 2577849 सहा. आ,

2557670 जन. सं. अधि.

कार्यालय क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, म. प्र.

उपक्षेत्रीय कार्यालय

132 झोन II, एम. पी नगर, भोपाल - 462011 (म. प्र.)

	पंजीकृत-पावती
संख्य प्रति,	मसर्म Rukhmani Devi Pelilik School NH-12, Norsinghgards Rel. New Jhorkhede. Dest-Schore
विषय	ः-कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम और उसके अंतर्गत रचित योजनाओं का मेसर्स Rukhmani Devi Public School पर लागू होना।
महोद के अ	य, आपके द्वारा प्रेषित विवरण/और आपकी स्थापना का भविष्य निधि प्रवर्तन अधिकारी द्वारा किए गए निरीक्षण ।धार पर स्पष्ट होता है कि :
(ক)	विषयांकित स्थापना / फैक्ट्री जो कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 में स्थापनाओं की भोमियों अनुसूची -1 में शामिल <u>डिक्टि</u> कार्य में लगी हुई है।
(画)	उक्त स्थापना/फैक्ट्री में माह/दिनांक <u>28-11-20/0</u> को <u>20</u> व्यक्ति कार्यरत है। तथा
(ग)	कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 की चारा 1 (3) और उसके अंतर्गत रचित योजनाएँ उपरोक्त नामित स्थापना फेक्ट्री इसके मुख्य कार्यालय और इसकी शाखाओं/विभागों पर चाहे वे एक स्थान पर है। अथवा विभिन्न स्थानों पर है। 28-11-20/2 तारीख से स्थायी / अस्थायी रूप से लागू है। इसके अतिरिक्त दिनांक में परिवर्तन किया जा सकेगा। स्थापना के पूर्व रिकार्डों की जांच होने के पश्चात स्थायी व्याप्ति का निर्णय लिया जावेगा।
(घ)	आपके आवेदन पत्र सं दिनांक के संदर्भ में आपको की इकाई मानते हुए म. प्र. उप. क्षे. का./ भोपाल धारा 2 (अ) के अंतंगत प्रशासनिक आधार पर कोड सं. म. प्र./उप क्षे.का./भोपाल धारा 2 (अ) के अंतंगत आवंदित किया जाता है। कृपया नोट कर लें कि इससे स्थापना की मूल आवृति प्रभावित नहीं होगी
	इसे सभी प्रयोजनों (क्षतिमूल्य आदि) के लिए मूल यूनिट का आनवाय अने नाना जाएना
	अधिनियम की धारा 1 (4) के अंतर्गत स्वैध्धिक आधार पर कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 आपकी स्थापना पर लागू करने के लिए आपके आवेदन —पत्र के संदर्भ में आपकी स्थापना अधिनियम 1952 आपकी स्थापना पर लागू करने के लिए आपके आवेदन —पत्र के संदर्भ में आपकी स्थापना को दिनांक

Rukhmani Devi Aublic School Near Jharkheda (Sehore)

- 2. आपकी स्थापना को जो संख्या म. प्र./उप. क्षे. का. भोपाल/ क्ष्मिक कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 और उसके अंतर्गत रचित योजनाओं अर्थात कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 कर्मचारी पेंशन योजना/ कर्मचारी पेंशन योजना 1995 तथा निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना 1976 के विभिन्य उपबंधों के अनुपालन के लिए आवंटित किया गया है। यह कोड संख्या इस कार्यालय के साथ पत्राचार करते समय अनिवार्य रूप से उद्घृत किया जाना चाहिए।

मोट : (कृपया अधिक जानकारी हेतु संलग्न अनुदेश देखें एवं पत्र व अनुब्रहकों की प्राप्ति रसीद भिजवाने की व्यवस्था करें।)

अनुलग्नक : 1, कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 कर्म. परि. पेंशन योजना, 1971/ कर्मचारी पेंशन योजना 1995, कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना को लागू करने से संबंधित निर्देश।

2. प्रारूप 9. (संशोधित-9), 3ए/6ए 12ए, 5 "क", 2,5/10, चालान

सतीय वन्द्र सहायक भूकिया निक्षिणापुक्त, कृते/क्षेत्रीयञ्जविक निर्धि आयुक्त उपक्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल (म.प्र.)

सहायक भविष्य निधि आयुक्त,

क्रमां	क/म.प्र./उपक्षेका/भोपाल//प्रयोज्यता कक्ष/ दिनांक
1.	श्री
2.	लेखा अनुभाग
3.	प्रवर्तन अनुभाग
4.	कम्प्यूटर अनुमाग

PRYNCIPAL
Rukhmani Devi Public School
Near Jharkheda (Sehore)